.राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10–बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं. 2709827/2710072 फैक्स नं. 91–0141–2710072

क्रमांक फा.8पी( )राइसेम/स्टोर/2018–19/ दिनांकः

:: खुली निविदा सूचना ::

कार्यालय उपयोग हेतु स्टेशनरी की आपूर्ति के लिए सीमित बिड

अनुमानित लागत 5,00000 रू.

कार्यालय उपयोग हेतु लिफाफे, फाईल कवर, फाईल पैड इत्यादि क्राफ्ट पेपर आइटमों की आपूर्ति के लिए सीमित बिड आमन्त्रित की जाती है। निविदा, विहित बिड प्रारूप में प्रस्तुत की जावेगी, बिड सूचना एवं प्रपत्र राज्य लोक उपापन पोर्टल (sppp.rajasthan.gov.in) एवं www.ricem.org की बेवसाइट पर देखी जा सकती है, बिड प्रपत्र/टेण्डर फार्म कार्यालय समय में दिनांक 13.06.2018 को प्रातः 11:00 तक प्राप्त किये जा सकते हैं, इस प्रकार इच्छुक बिडदाता स्टेशनरी की आपूर्ति हेतु बिड लिखकर कार्यालय में दिनांक 13.06.2018 को अपराह्न 1:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं, प्राप्त बिड दिनांक 13.06.2018 को सांय 3:00 बजे उपस्थित बिडदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी।

निदेशक, राइसेम

क्रमांक फा.8पी( )राइसेम/स्टोर/2018–19/ दिनांकः

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

प्रचार अधिकारी, सहकारी विभाग, राजस्थान, जयपुर को उक्त निविदा सूचना किसी एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र के जयपुर संस्करण में प्रकाशन हेतु।

निदेशक, राइसेम

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10—बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं. 2709827 / 2710072 फैक्स नं. 91—0141—2710072

बोली प्रपत्र विक्रय की तिथि दिनांक 29.05.2018 से 13.06.2018 प्रातः 11:00 बजे तक
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 13.06.2018 को अपराह्न 1:00 बजे तक
बोली प्रपत्र खोलने की तिथी दिनांक 13.06.2018 को सायं 3:00 बजे
बोली प्रपत्र शुल्क रू. 500 /— अमानत राशि रूपये 10000.00

बोली प्रारूप

(स्टेशनरी आइटम्)

1. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता..
....
....टेलीफोन..
2. जिसको सम्बोधित किया :— निदेशक, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान, जयपुर ।
3. सन्दर्भ बोली सूचना संख्या 01 / 2018—19 दिनांक ....
4. बोली प्रपत्र शुल्क राशि 500 /— नगद रसीद संख्या...................................दिनांक......................... द्वारा जमा करा दी गई है।
5. बैक ड्राफ्ट / बैकर्स चैक संख्या..................................दिनांक................................(बैक का नाम) पर आहरित किया गया है। नगद रसीद संख्या ....दिनांक................रूपये के अमानत राशि रू. 10000 /—के लिये संलग्न कर दिया गया हैं ।
6. हम राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली सूचना संख्या 01 / 2018—19 में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न सीट मे दी गई बोली सूचना के अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है। इसके सभी पृष्ठो व संलग्नको पर उल्लेखित शर्तो के हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये है।
7. वर्णित दरें वित्तीय वर्ष 2018—19 की अवधि के लिए मान्य होगी।
8. इनके साथ जीएसटी पंजीयन एवं जीएसटी प्रमाण—पत्र संलग्न कर दिया है।
9. फर्म अथवा अधिकृत व्यक्ति का आयकर विभाग द्वारा जारी पेन व उसकी छाया प्रति संलग्न है।
10. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की अनुमानित मात्रा, स्पेसिफिकेशन तथा वित्तीय दर एनेक्सर—ई मे अंकित कर दी गई है।
11. क्राफ्ट पेपर निर्मित आइट्म (लिफाफे,फाईल कवर, फाईल पैड फाईल फ्लेपस) इत्यादि के नमूने आवश्यक रूप से संलग्न करने होगे।
12. जहॉ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम लागू होंगे इसके साथ ही राज्य मे दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम—2012 व नियम — 2013 के प्रावधान इस बोली पर प्रभावशील होगें।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10—बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं. 2709827 / 2710072 फैक्स नं. 91—0141—2710072

स्टेशनरी क्रय वर्ष 2018—19 मे खुली बोली प्रपत्र भरने हेतु

टिप्पणीः— बोलीदाताओं को इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढना चाहिये तथा अपनी बोली भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये ।

1. बोलीदाता को निविदा सूचना मे दिये गये निर्देशो के अनुसार उचित रूप से मोहरबन्द लिफाफे मे बन्द करना चाहिये ।
2. बोली स्टेशनरी की आपूर्ति हेतु आयुक्त उद्योग विभाग से पंजीकृत लघु उद्योगिक ईकाईयो द्वारा दी जानी चाहिए तथा वह वर्णित स्टेशनरी बनाने हेतु अनुमोदित होनी चाहिऐ । एसएसआई यूनिट होने का उद्योग विभाग द्वारा जानी पंजीकरण प्रमाण— पत्र संलग्न की जावें । अन्यथा बोली निरस्त की जा सकती है।

   (क) बोली के साथ बोलीदाता द्वारा नमूने संलग्न किऐ जाने आवश्यक है। बिना नमूने के प्राप्त बोली अस्वीकार की जावेगी।

   (ख) स्टेशनरी के नमूने दिनांक 13.06.2018 को मध्याह्न 1.00 बजे तक इस कार्यालय के भण्डार में किसी भी कार्य दिवस में देखे जा सकते हैं।
3. (1) फर्म आदि के गठन मे किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित मे बोलीदाता द्वारा दी जावेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्य से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।

   (2) संविदा के संबंध मे फर्म मे किसी भी नए भागीदार / भागीदारों के बोलीदाता द्वारा फर्म मे तब तक स्वीकार नहीं किया जावेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिऐ बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध मे लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिऐ बोलीदाता की रसीद या बाद मे उपरोक्त रूप मे स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिऐ प्रयाप्त रूप उनमुक्ती (डिस्चार्ज) होगी।
4. जीएसटी पंजीयन एवं शोघन प्रमाण—पत्र (Clearance Certificate) —कोई बोलीदाता जहॉ उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य मे प्रचलित जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं देगा। जीएसटी पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिऐ तथा सम्बंधित सर्किल के वाणिज्यि कर अधिकारी से जीएसटी शोधन प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसके बिना बोली को रद्व कर दिया जाएगा।
5. बोली प्रारूप स्याई से भरा जाएगा या टंकण से भरा जाएगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त मे बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण मे हस्ताक्षर करेगा।
6. **दर निर्धारित वित्तीय प्रपत्र मे अंकित की जाएगी।** इसमे कोई त्रुटियां (Errors) एवं / या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्वियां करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों मे राजस्थान जीएसटी एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक से दिखाना चाहिए ।
7. मूल्य अधिमानः— मूल्य अधिमानता / अधिमानता राजस्थान के उद्योगो द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित मालों की तुलना मे भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता नियम 1995 के अनुसार दी जायेगी ।
8. विधि मान्यताः— बोली उनके खोले जाने के दिनांक से 90 दिवस की अवधि के लिए विधि मान्य होगी ।

9. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसीफिकेशन, साईज, मैक, एवं ड्राइंग्स आदि की सावधानीपूर्वक जॉच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग, स्पेशीफिकेशन, ड्राईग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

10. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नही सौपेंगा या उप–भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।

11. विशेष विवरण (स्पेशिफिकेशन्स) –

(1) प्रदाय की गयी सभी वस्तुए बोली मे निर्धारित स्पेसीाफिकेशन्स, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुसार होगी तथा जहां पर वस्तुओं की आईएसआई स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार अपेक्षा की गयी है उन की पूर्णरूप से उन स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।

(2)बोली प्रपत्र मे अंकित वस्तुओं का प्रदाय अन्य बातों के साथ अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य पदार्थो के मामले मे जहां कोई स्तरीकृत या अनुमोदित नमूनों न हो अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता/समिति का इस संबंध मे कि क्या प्रदाय की गई वस्तुए स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप है तथा क्या वे सैन्युल यदि कोई हो के अनुसार है किया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।

(3) वारंटी एवं गारंटी का खण्ड– बोलीदाता यह गारंटी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुए खरीदें जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया हो, यदि उक्त अवधि मे, उक्त मालो/स्टोर्स/वस्तुओं का उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये है (तथा उस सम्बन्ध मे क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा), तो क्रेता उक्त मालो/स्टोर्स/वस्तुओ को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जायेगें, रद्व करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रद्व किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुऐं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्व करने से सम्बनधित समस्त उपबन्ध लागू होगें। बोलीदाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्व कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा बोलीदाता ऐसी क्षति के लिऐ भुगतान करेगा जो इसमे दी गई शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमे दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध मे क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

12. **निरीक्षण**

(क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चिय किया जाएगा, किसी भी समय मालों/उपकरणों/मशीनो की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा।

(ख) बोलीदाता अपने कार्यालय परिसर मे गोदाम एवं वर्कशाप का जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है पूर्ण पता उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों मे मामले मे जो व्यवसाय मे नए रूप में प्रविष्ट हुए है उन्हें बैकर्स से एक परिचय –पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

13. **सैम्पल**

अनुसूची मे अंकित वस्तुओं के लिए बोलीदाताओं के साथ उचित रूप से पैक की गयी बोलीदत्त वस्तुओं के नमूने प्रस्तुत किय जाएंगे। ऐसे सैम्पल, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे तो कार्यालय मे प्राप्त किए जाएंगे। सैम्पल प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक सैम्पल के लिए रसीद दी जाएगी। यदि ये सैम्पल ट्रेन आदि मे भेजे जाते है तो इन्हें भुगतान कर भाडे द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर/आर या जी आर एक पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। केटरिंग/खाद्य पदार्थो के नमूने प्लास्टिक बॉक्स/पोलीथीन के थैले मे बोलीदाता के मूल्य से रखे जाने चाहिए। प्रत्येक सैम्पल या किसी स्लिप पर या तो लिखकर या नमूने के साथ एक मजबूत

कागज सुरक्षित ढंग से बांध कर उपयुक्त रूप से चिन्हित किया जाएगा तथा उस पर बोलीदाता का नाम मद की क्रम संख्या जिसक वह अनुसूची मे नमूना है आदि लिखे जाएगें। अनुमोदित सैम्पलों को संविदा के समाप्त होने के बाद छः माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन सैम्पुलो को प्रतिधारित (Retained) किया जाएगा परन्तु उसमें किसी भी क्षति, टूटफूट, परीक्षण जांच के दौरान हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। निर्धारित अवधि की समाप्ति पर बोलीदाता द्वारा सैम्पुलों को वापस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप मे उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 6 माह की अवधि के भीतर कोई सैम्पुल प्राप्त नहीं किये जाते है तो उन्हें सरकार द्वारा समपहृत (Forfeit) कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा। असफल बोलीदाताओ द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इकटठा किया जाएगा। जिस अवधि मे इन नमूनों को रखा जाता है उसमे किसी भी प्रकार की क्षति टूट–फूट या परीक्षण, जांच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नही होगी। जो नमूने वापस नहीं लिए जाएंगे उन्हें समपहृत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्पेसीशिफिकेशन्स या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जहॉ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों से किया जाएगा उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

14. सैम्पल निकालनाः–

परीक्षणों के मामले मे बोलीदाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति मे चार सेटों मे सैम्पुल लिए जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति मे उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा। उनमें से एक सैट उन्हें दे दिया जाएगा एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं/परीक्षण गृहों से भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सेट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय मे प्रतिधारित किया जाएगा।

15. परीक्षण प्रभारः–

परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि बोलीदाता अत्यावशयक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार ही नहीं है तो परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

16. रद्द करना (Rejection)

(1) निरीक्षण या परीक्षण दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा बदला जाएगा ।

(2) तथापि यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप मे उन वस्तुओं को बदलना साध्य (Feasable) नही समझा जाए तो केता अधिकारी बोलीदाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।

(3) रद्द की गयी वस्तुओं को बोलीदाता उन्हे रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा इसके बाद केता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे बोलीदाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हे वह उचित समझे बेचने का अधिकार होगा।

(4) बोलीदाता उचित पेकिंग करने के लिए उत्तदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति मे उनमे कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा मे प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि क्षति टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने मामले मे बोलीदाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियो की जांच/

निरीक्षण किए जाने पर पायी जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उतरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

(5) प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Repudiate) कर सकता है।वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों का अभिलिखित करेगा।

(6)बोलीदाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रप्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी ।

17. <u>सामग्री की सुपुर्दगी</u>

(1) सुपुर्दगी अवधि बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की जाएगी, वह सप्लाई आदेश की तारीख से 10 दिवस की अवधि के भीतर सामान की सप्लाई करने की व्यवस्था करेगा।

(2) मात्रा के सीमा आदेश को फिर से देनाः – यदि बोली सूचना मे दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है तो बोलीदाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Report Orders) भी बोली मे दी गयी शर्तो पर दिए जा सकेगें परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए ही होगें। यदि बोलीदाता ऐसी सप्लाई करने मे असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी बोलीदाता से वसूली जाएगी।

(3) यदि क्रेता अधिकारी किन्ही बोलीदत्त वस्तुओं की खरीद नही करता है या बोली प्रपत्र मे निर्दिष्ठ मात्रा से कम मात्रा मे माल खरीदता है तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।

18. **बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी)**

(क) बोली के साथ 10000/– रू. की बयाना राशि प्रस्तुत की जायेगी। इसके बिना बोली पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि निदेशक, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम), जयपुर के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी भी रूप में जमा कराया जाना चाहिये।

(i) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।

(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय (Refund of earnest money) असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार कर अनुबंध निष्पादन के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटायी जायेगी।

(ग) बयाना राशि से छूट :– उन फर्मों को जो निदेशक उद्योग विभाग राजस्थान के पास पंजीकृत है उन मदों के संबंध में जिनके लिये वे उक्त रूप से रजिस्टर्ड की गई है उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदायें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के अनुमानित मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।

(घ) अनुमोदन की प्रतिक्षा करने वाली या रद्द की गयी या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा। तथापि यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

19. **बयाना राशि का समपहरणः** बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जायेगा–

1 जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।

2 जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।

3 जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।

4 जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।

20. **(अ) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and security deposit)**

1. सफल बोलीदाता को आदेश प्राप्ति की दिनांक से 7 दिवस की अवधि मे प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिये बोली स्वीकार की गई है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति अनुबंध के साथ ही जमा करानी होगी ।
2. बोली के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।
3. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगेः—
   (क) नकद / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / चालान की रसीदी प्रति / शिड्यूल बैंक द्वारा जारी बैंक गारण्टी / एफ0डी0आर0
   (ख) डाकघर बचत बैक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगा।
   (ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिष्ट / विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वैल्यू) पर स्वीकार किया जायेगा।

(2) **(ब) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जायेगा :—**

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लघंन किया गया हो।
(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने से असफल रहा हो।
(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

21. बीमाः—

सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किये जायेंगे। यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी नाश या क्षय द्वारा या आग बाढ़ मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिये बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

22. भुगतानः—

I. समान की सप्लाई के लिए अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
II. जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए सामान की सुपुर्दगी के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों तथा राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
III. विवादास्पद मदों के संबंध में राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।

IV. उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है भुगतान तभी किया जायेगा जब वे परीक्षण कर लिये जायेंगे तथा प्राप्त हुये परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगे।

23. (1) बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिये विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल बोलीदाता क्रेता अधिकारी से फर्म ऑर्डर के प्राप्त होने से अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।

(ii) परिनिर्धारित क्षतिः परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिये की जायेगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा हैः—

(2) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये 2.5 प्रतिशत

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिये 5 प्रतिशत

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक के लिये 7.5 प्रतिशत

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये 10 प्रतिशत

(3) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा कराने के लिये समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उसे प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5)यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

24. वसूलियां परिनिर्धारित क्षयों कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिये वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। कम सप्लाई टूटफूट, रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है, तो परिनिर्धारित क्षय (लिक्वीडेटेड डेमेजज) के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पीडीआर एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

25. यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या इनके विरोध में हैं तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्तों को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

26. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है स्वीकार करने बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिये बोलीदाता ने बोली दी है उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

27. बोलीदाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :—

1. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति।
2. यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
3. एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता टेलीफोन नम्बर।
4. कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वार जारी किया गया प्रमाण पत्र

28. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी, अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी ।

29. राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के उपनियम–29 (ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड अध्यधीन होंगी। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर सामान माल, संकर्मों या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नानुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

<u>बोलीदाता द्वारा घोषणा</u>

मै/हम/घोषणा करता हूॅ/करते है कि मैने/हमने जिन मालों/स्टोरों/उपकरणों के लिए बोली दी है उनका/उनके/मै/हम मूल उत्पादक/थोक व्यापारी/ प्राधिकृत विक्रेता है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी प्रकार की अन्य कार्रवाई जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी अमानत राशि को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जाएगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, को रद्द कर लिया जाएगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10—बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं. 2709827 / 2710072 फैक्स नं. 91—0141—2710072

लिफाफा—1

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम) में स्टेशनरी उपलब्ध करवाये जाने हेतु

:: तकनीकी निविदा प्रपत्र ::

मूल्य रू. 500 / — (डाक द्वारा मंगवाने पर 550 / — रूपये)

अमानत राशि रूपये 10,000 / —

विद की अनुमानित मूल्य : 5.00 लाख रूपये

निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि : 13.06.2018 अपरान्ह 1:00 बजे तक

निविदा खोलने की दिनांक : 13.06.2018 सांय 3:00 बजे

1.	बोलीदाता का नाम	
2.	बोलीदाता का स्थानीय पता (मय टेलीफोन / मोबाईल नम्बर)	
3.	बोलीदाता का स्थाई पता (मय टेलीफोन / मोबाईल नम्बर) साक्ष्य के लिए राशन कार्ड / मतदाता परिचय पत्र / पानी / टेलीफोन / बिजली के बिल की सत्यापित प्रति)	
4.	बोलीदाता को स्टेशनरी उपलब्ध करवाने का अनुबन्ध प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी की प्रमाण प्रति संलग्न करें। (प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करें)	
5.	बोलीदाता / फर्म का पेन नम्बर (फोटो प्रति संलग्न करें)	
6.	बोलीदाता / फर्म का जीएसटी नम्बर (फोटो प्रति संलग्न करें)	
7.	अन्य प्रमाण पत्र (फोटो प्रति संलग्न करें)	
8.	गत तीन वर्षों के वार्षिक लेखो की अंकेक्षित प्रतिलिपि	
9.	गत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि संलग्न करें	
10.	गत एक वर्ष का बैंकर्स का विवरण पत्र संलग्न करें	
11.	निविदा प्रपत्र हेतु रसीद संख्या एवं दिनांक	रसीद संख्या .... दिनांक ....
12.	अमानत राशि रूपये 10,000 / — का विवरण	बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक संख्या .... दिनांक .... बैंक का नाम .... राशि ....
13.	संलग्न शर्तों पर सहमति हाँ / नहीं (सहमति स्वरूप समिति द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करें।	हाँ अथवा नहीं

बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त बिड संख्या .... दिनांक .... के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा के अन्तर्गत एतद् घोषणा करता हूँ। कि :–

1. यह कि राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम) को प्रस्तुत उक्त बिड्स से सम्बन्धित समस्त प्रकार की व्यावसायिक तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध हैं।
2. यह कि मैं/ हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करों की अदायगी के लिये बाध्य रहूँगा/रहेंगे।
3. यह कि मैं/हम किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/हैं और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
4. यह कि विगत 3 वर्षों में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से काई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण निर्योग्य किये गये हैं।
5. यह कि मेरे/हमारे द्वारा बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तों/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/हैं, जिसको मानने के प्रमाण स्वरूप समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षरा अंकित कर दिये हैं।
6. यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व बिड्स शर्तों से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते हैं।

दिनांक : ....

स्थान : ....

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम..

पद..

पता..

....

मो0नं0..

वित्तीय बोली प्रपत्र लेखन सामग्री आईटम्

क्र.सं.	नाम स्टेशनरी	लगभग	
1.	साधारण रिफिल नीली पांईटेड वाला पैन	6000 नग	
2.	स्पाइरल पैड डायरी 9X6 (कार्यालय सैम्पल)	6000 नग	
3.	स्पाइरल पैड बडे (कार्यालय सैम्पल)	200 नग	
4.	प्लास्टिक फोल्डर बटन वाले प्रिन्टेड (कार्यालय सैम्पल)	6000 नग	
5.	लाईनदार रजिस्टर गत्ता बाईडिंग 12X7.5, 200/240 पेज सुपीरियर कागज	30 नग	
6.	फोटो कॉपीयर ए–4 75	250 रिम	
7.	फोटो कॉपीयर एफ एस 75 जैम	25 रिम	
8.	फाइल कवर 13 X 9.5	400 नग	
9.	फाइल पैड 14 X 9.5	400 नग	
10.	जैल पैन	50 नग	
11.	नोटशीट पैड 13 X 8	50 नग	
12.	पैनड्राइव 8 जी.बी	25 नग	
13.	पैनड्राइव 16 जी.बी	25 नग	
14.	पेन स्टेण्ड	05 नग	
15.	पेपर रोल स्टेण्ड	05 नग	
16.	डेस्क कलेण्डर स्टेण्ड	05 नग	
17.	साधारण पेंसिल एच. बी.	50 नग	
18.	साधारण रबड़	25 नग	
19.	शॉपनर	25 नग	
20.	प्लास्टिक स्केल बडे	10 नग	
21.	आलपिन पैकेट्स लम्बाई 25एमएम पैकिट वजन–100ग्राम	20 नग	
22.	यू–पीन	2 बॉक्स	
23.	व्हाईट बोर्ड मार्कर	200 नग	
24.	परमानेंट मार्कर	50 नग	

25.	हाईलाईटर	30 नग	
26.	फेवीस्टिक बड़ी नॉन टॉक्सिक	100 नग	
27.	सेलोटेप 1 ईंच	25 नग	
28.	सेलाटेप 2 ईंच	25 नग	
29.	ब्राउन टेप 1 ईंच	25 नग	
30.	ब्राउन टेप 2 ईंच	25 नग	
31.	स्टिकी पैड	25 पै.	
32.	स्टाम्प पैड छोटा नीला	20 नग	
33.	स्टाम्प पैड बडा नीला	10 नग	
34.	स्टाम्प पैड इंक नीली	05 नग	
35.	करैक्टिंग फ्ल्यूड इंक	25 नग	
36.	डाक पैड (प्लास्टिक)	05 नग	
37.	पेपर वेट	25 नग	
38.	पोकर (सुआ)	10 नग	
39.	स्टेपलर बडे 26X6 – 24.6	10 नग	
40.	स्टेपलर छोटे No. - 10	20 नग	
41.	स्टेपलर पिन छोटी No. - 10	2 पैकेट (40 नग)	
42.	स्टेपलर पिन बडी 24 X 6	1 पैकेट (20 नग)	
43.	फाईल लैस सुपीरियर प्रति पै. 100X50= 5000 नग	1000 नग	
44.	फाईल टैग 8'' सुपीरियर धागे से बना प्रति पै. 800X50 = 40000 नग	1000 नग	
45.	लाईनदार रजिस्टर गत्ता बाईडिंग 12X7.5, 100 / 120 पेज सुपीरियर कागज 60 जीएसएम	25 नग	

हस्ताक्षर बोलीदाता मय नाम,
फर्म का मोबाईल–दूरभाष एवं पते
सहित